सरयू राय

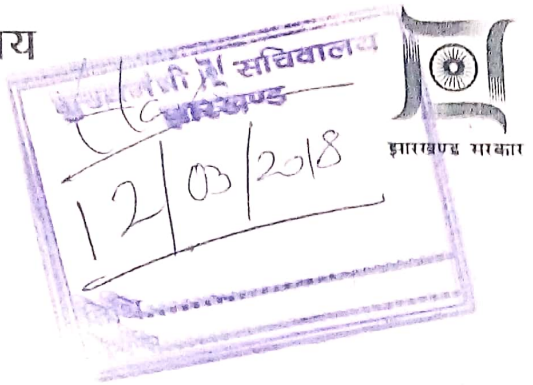

मुख्यमंत्री सचिवालय
झारखण्ड
12/03/2018

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक : अ.स./47/18
दिनांक : 11-03-2018

माननीय मुख्यमंत्री,

निम्नांकित चार पत्रों की छाया प्रतियां आवश्यक कारवाई हेतु आपके अवलोकनार्थ संलग्न हैं :–

1. सचिव, पथ निर्माण विभाग को प्रेषित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पीत पत्र गै०स०प्रे०सं० 36101408, दिनांक 28.05.2017
2. सचिव, पथ निर्माण विभाग को प्रेषित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पीत पत्र गै०स०प्रे०सं० 36101446, दिनांक 30.05.2017
3. मुख्यमंत्री को प्रेषित मेरा पीत पत्र गै०स०प्रे०सं० 1347/मंत्री कोषांग, दिनांक 24.10.2017.
4. सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/ऊर्जा विभाग को प्रेषित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पीत पत्र गै०स०प्रे०सं० 3600161, दिनांक 13.01.2018.

उपर्युक्त सभी पत्रों का आशय है कि सरकार के कार्य विभागों, खासकर पथ निर्माण विभाग, की कार्य संस्कृति में पारदर्शिता लाने और योजनाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिये इन विभागों की निर्मित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं से संबंधित कतिपय आवश्यक सूचनायें, जैसे योजना की विवरणी, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं तिथि, संबंधित संवेदक का नाम, एकरारनामा की तिथि एवं सन्निहित राशि, एकरारनामानुसार योजना पूर्ण करने की तिथि, योजना की भौतिक स्थिति, योजना में वित्तीय व्यय की स्थिति आदि को वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाय.

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के उपर्युक्त पत्रों से स्पष्ट है कि इस आशय का निर्देश संबंधित विभागों को पहले भी दिये जा चुके हैं पर विभागों द्वारा इनका अनुपालन नहीं हो रहा है. प्रधान सचिव ने ये पत्र निर्देशानुसार लिखा है और सूचनाओं से संबंधित 2015–16 और 2016–17 का अद्यतन प्रतिवेदन मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ शीघ्र भेजे जाने का अनुरोध संबंधित विभाग/विभागों के सचिव से किया है. परंतु ये सूचनायें उपलब्ध नहीं कराई गईं. इसी आशय का अनुरोध अधोहस्ताक्षरी ने भी अपने उपर्युक्त पत्र में किया है. मुख्यमंत्री के निदेशानुसार उनके प्रधान सचिव द्वारा उनके ही विभाग के सचिव से माँगी गई सूचनायें उपलब्ध नहीं कराया जाना, दिये गये निर्देशों को क्रियान्वित नहीं किया जाना और लंबे समय तक इन निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर कोई कारवाई नहीं होना समझ से परे है और रहस्यमय है.

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651–2401023, फैक्स : 0651–2482455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

इसके अतिरिक्त भवन निर्माण विभाग की एक सांविका का प्रासंगिक अंश भी साथ में संलग्न है. सांविका मे निविदा संबंधी अनियमितता पर कारवाई करने के लिये विभागीय सचिव और विकास आयुक्त की अनुशंसा के आलोक में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग के संबंधित अभियंता और मुख्य अभियंता पर प्रशासनिक कारवाई करने और प्रक्रिया में हुये व्यय की राशि उनसे वसूलने का स्पष्ट आदेश दिया है. परंतु ये अभियंता ही अभी भवन निर्माण विभाग में लंबे समय से सर्वेसर्वा बने हुये हैं और एक साथ अभियंता प्रमुख सहित महत्व के कई पदों पर काबिज हैं.

ऐसी ही स्थिति पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग में शीर्ष पदों पर बैठे अभियंताओं के निहित स्वार्थी समूह की भी है. वरीयता क्रम में काफी नीचे होने के बावजूद यह समूह एक साथ कई महत्व के पदों पर लम्बे समय से आसीन है. प्रश्न है कि कार्य विभागो मे अपने मूल पद के अतिरिक्त महत्व के अन्य कई पदों पर काबिज चुनिन्दा अभियंताओं का यह समूह विभागीय सचिव के नियंत्रण में भी है या नहीं? आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा निदेशानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन विभागीय सचिवो से नहीं हो पा रहा है? पथ निर्माण विभाग में विगत चार–पाँच वर्षों में निर्मित और निर्माणाधीन पथों का ट्रैफिक सर्वे, एक्सल लोड सर्वे, लोड कैरिंग कैपेसिटी की गणना एवं स्वायल टेस्ट रिपोर्ट आदि देख लेने पर पथों के रोड क्रस्ट डिजाइन और निर्माण की गुणवत्ता की वास्तविक स्थिति का आसानी से पता चल जायेगा और यदि इसमें हेराफेरी हुई है तो उसका पर्दाफाश हो जायेगा. संभवतः इसीलिये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा इन्हें सार्वजनिक करने का निर्देशानुसार दिये गये आदेशों का पालन इनके द्वारा नहीं किया गया है.

विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति का वर्ष २०१३–१४ का प्रतिवेदन, जो सभा पटल पर दिनांक 05.03.2014 को उपस्थापित किया गया है, भी इस संदर्भ मे विचारणीय हैं. समिति ने पाया है कि भवन निर्माण विभाग में टेंडर मैनेज किया जा रहा है और अभियंता प्रमुख के तकनीकी सचिव श्री रास बिहारी सिंह की भूमिका इसमें संदेहास्पद है. उन्होंने टेंडर मैनेज किया है. अतएव इनकी संपति की जाँच निगरानी विभाग तीन माह के अंदर करे और दोषी को दंडित करे. साथ ही इसकी जाँच भी की जाय कि प्रधान सचिव ने इन्हें संरक्षण क्यों दिया है? ज्ञातव्य है कि यह व्यक्ति आज भी पथ निर्माण विभाग का सर्वेसर्वा बना हुआ है.

इस समिति ने उसी प्रकार की कतिपय सूचनाओं की मांग विभाग से किया. पर ये सूचनायें समिति को नहीं दी गईं. समिति ने टिप्पणी किया है कि बार–बार स्मारित करने के बावजूद विभाग की प्रधान सचिव राजबाला वर्मा न तो समिति की बैठक में आईं और न ही उन्होंने वांछित सूचनायें ही भिजवाया. समिति का मंतव्य है कि "प्रधान सचिव का यह कार्य समिति को अपमानित करने वाला है और उनके द्वारा विभागीय गड़बड़ियों को छुपाने के लिये ऐसा जानबूझकर किया गया है." समिति ने पाया है कि भवन निर्माण विभाग में टेंडर मैनेज

Scanned with OKEN Scanner

किया जाता है. यह महज संयोग नहीं है कि विधान सभा समिति के प्रतिवेदन में और भवन निर्माण विभाग की संचिका में जिन अभियंताओं को दोषी चिन्हित किया है वे अभी भी कार्य विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सम्हाल रहे हैं.

उपर्युक्त के आलोक में विधिसम्मत कार्रवाई का आदेश देने की कृपा करेंगे।

सादर,

भवदीय

11.3.18

सरयू राय

सेवा में,
श्री रघुवर दास,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार,
रांची।

Scanned with OKEN Scanner